टिप्पणी

21

राजनीतिक दल तथा दबाव-समूह

आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनती है। लोकतांत्रिक सरकार को जनता की सरकार के रूप में ही माना जाता है और यह जनता द्वारा ही चलाई जाती है। आमतौर पर, अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि लोग किस प्रकार स्वयं को ही सरकार में प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनाव की प्रक्रिया द्वारा चुनते हैं। चुनावों में राजनीतिक दल आमतौर पर उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं। कुछ उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन, लोगों की भागीदारी केवल चुनावों से ही शुरू और खत्म नहीं होती। सरकार बनाने की प्रक्रिया में लोग ऐसे समूहों द्वारा भी भागीदारी कर सकते हैं जिन्हें दबाव-समूह या हित समूह कहा जाता है। इस पाठ में, हम राजनैतिक दलों और दबाव समहों की चर्चा करेंगें, जो विशेष रूप से हमारे देश के संदर्भ में होगी। आप राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बारे में और भी जानना चाहेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप :

- एक राजनीतिक दल के आशय की व्याख्या कर सकेंगे;
- राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताओं को विस्तार से समझा सकेंगे;
- भारत में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण कर सकेंगे;
- भारत की लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा कर सकेंगे;
- भारत के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के बीच अंतर कर सकेंगे;
- राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की प्रमुख नीतियों का उल्लेख कर सकेंगे;
- राजनीतिक दलों एवं दबाव/हित समूहों के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे;
- दबाव/हित समूहों की भूमिका का आकलन कर सकेंगे; तथा
- हमारे दैनिक जीवन पर राजनीतिक दलों के प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे।

टिप्पणी

21.1 राजनीतिक दल : अर्थ एवं विशेषताएँ

21.1.1 हमें लोकतांत्रिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

आजकल के लोकतांत्रिक देशों में, सरकार के गठन एवं संचालन के लिए राजनीतिक दलों को आवश्यक घटक के रूप में माना गया है। हालाँकि, कुछ देशों जैसे लीबिया, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) में, दल विहीन सरकारें हैं। ये देश लोकतांत्रिक नहीं हैं और यहाँ राजनीतिक दल प्रतिबंधित हैं। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लोकतंत्र उन्हीं देशों में सफलतापूवर्क संचालित होता है जिनके पास प्रतिद्वन्दी पार्टी प्रणाली है। राजनीतिक दल वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार की संस्थाओं और कार्रवाई में मदद करते हैं। ये लोगों को चुनावों एवं प्रशासन की अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं और उन्हें नीतिगत निर्णय लेने में मदद करते हैं। यदि राजनीतिक दल प्रतिनिधि सरकार के संचालन को संभव बनाने के लिए आवश्यक हैं, तो आप शायद पूछेंगे कि राजनीतिक दल का आशय क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? लोकतांत्रिक सरकार में उनकी भूमिकाएँ क्या हैं?

22.1.2 राजनीतिक दल का अर्थ

राजनीतिक दल को आमतौर पर जनता की एक संगठित इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता हैं जो सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित होते हैं और राजनीतिक प्रणाली के बारे में इसके कुछ सामान्य लक्ष्य होते हैं। राजनीतिक दल सांविधानिक उपायों के द्वारा राजनैतिक सत्ता चाहते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं जिससे यह अपनी नीतियों को अमल में ला सकें। यह समान सोच वाले लोगों का एक निकाय है, जिनके जनता से सम्बन्धित विषयों पर समान विचार हों। गिलक्रिस्ट के अनुसार राजनीतिक दल की परिभाषा है 'नागरिकों का एक संगठित समूह जो समान राजनीतिक विचारों का साझा एवं व्यक्त करते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए, सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं'। गेटेल के द्वारा दी गई एक अन्य परिभाषा हैः- 'एक राजनीतिक दल नागरिकों के समूह से बनता है, जो प्रायः संगठित होते हैं, और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके, सरकार को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखते हैं और अपनी नीतियों को लागू करते हैं'।

इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दल संगठित निकाय होते हैं और ये मूल रूप से सत्ता को पाने और उसे बनाए रखने के बारे में चिंतित रहते हैं।

21.1.3 विशेषताएँ

राजनीतिक दलों की उपर्युक्त परिभाषाओं से, उनकी प्रमुख विशेषताओं को निम्न रूप में पहचाना जा सकता है;

- राजनीतिक दल जनता का एक संगठित समूह है;
- जनता का यह संगठित समूह एक जैसी नीतियों और एक जैसे लक्ष्यों पर विश्वास करता हैं;
- इसका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों द्वारा राजनीतिक सत्ता हासिल करने के इर्द-गिर्द घूमता है;

- यह चुनावों के द्वारा सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने के सांविधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके प्रयोग करता है; और
- सत्ता में आने पर यह अपने घोषित उद्देश्यों को सरकारी नीतियों में बदल देता है।

पाठगत प्रश्न 21.1

1. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें:

(क) निम्न में से कौन सा कथन किसी राजनीतिक दल की एक विशेषता है?

(i) लोगों का समूह जो अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए संगठित हैं।

(ii) लोगों का समूह जो समान धार्मिक विचारों को साझा करते हैं।

(iii) लोगों का समूह जिनके जनसाधारण से जुड़े मसलों पर एक जैसे विचार एवं नीतियाँ हों।

(iv) लोगों के समूह जा चुनावी सभा में उपस्थित हों।

(ख) हमें एक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

(i) विधान मंडल को कानून बनाने में मदद करना।

(ii) कार्य पालिका को देश के प्रशासन में मदद करना।

(iii) न्याय पालिका को न्याय प्रदान करने में मदद करना।

(iv) लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने में मदद करना।

(ग) निम्नलिखित में से कहाँ पर लोकतंत्र नहीं है?

(i) लीबिया (ii) इंडोनेशिया

(iii) भारत (iv) श्रीलंका

21.2 राजनीतिक दल : कार्य एवं भूमिका

आपने अब तक यह पढ़ा कि प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के कुशल संचालन के लिए राजनीतिक दल ज़रूरी हैं। ये प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में अहम् कार्य करते हैं। यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि जब देश में निर्वाचन होते हैं तो उम्मीदवारों को निर्वाचन मंडल के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? क्या आप जानते हैं कि चुनावों के दौरान कौन चुनाव करता है? क्या आपने कभी जानना चाहा कि सरकार कैसे बनती है और किसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित किया जाता है?

ये सभी राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित हैं। राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले कार्य, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित हैं;

- ये चुनावों के दौरान उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं;
- ये चुनावों में अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु प्रचार करते हैं;

टिप्पणी

- ये मतदाताओं के समक्ष चुनावी घोषणा पत्र के द्वारा अपने उद्देश्य और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं;
- चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले दल ही सरकार बनाते हैं, अपनी नीतियों को लागू करते और उन पर कार्य करते हैं;
- जो सत्ता में नहीं होते वे विरोधी दल बनाते हैं और सरकार पर लगातार नजर रखते हैं;
- जब विधानपालिका में वे अल्पमत में होते हैं तो विपक्ष के रूप में सरकार पर अच्छे शासन के लिए लगातार दबाव बनाए रखते हैं।
- ये लोगों को शिक्षित करते हैं और जनता की राय जानने एवं उसे दिशा देने में मदद करते हैं;
- ये लोगों की अपेक्षाओं अथवा माँगों को समझते हैं और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते है; और
- ये लोगों एवं सरकारी संस्थाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

भारतवर्ष में स्वतंत्रता के समय से राजनीतिक दल उपरोक्त कार्यों को पूरी कुशलता से करते रहे हैं। इन्होंने भारत में पिछले छह दशकों से प्रतिनिधि सरकार को संभव एवं सफल बनाया है। ये एक तरफ सरकार एवं नागरिकों के बीच तो दूसरी तरफ मतदाताओं एवं प्रत्याशियों के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित करते हैं। ये जनसाधारण से जुड़े मुद्दों पर जनता की माँगों को पूरा करने का प्रयास हैं, और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। बिना पार्टियों के चुनाव लगभग असंभव होता। वास्तव में, लोकतंत्र के लिए सशक्त और सतत राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है जिनमें नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो और नीतियों के विकल्प प्रदान करें तथा जो जनता के हित के लिए शासन करने की योग्यता रखते हों।

भारतवर्ष में पिछले छह दशकों के दौरान राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली का अनुभव यह दर्शाता है कि अधिकांशतः ये जनमत बनाने, राजनीतिक जागरुकता लाने और लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने में सक्रिय हैं। ये वहां सफलतापूर्वक सरकारों का गठन करते हैं जहाँ इन्हें लोगों का जनादेश प्राप्त होता है और केन्द्र एवं राज्यों में अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम लागू करते हैं।

इन्होंने सरकार की संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाने में अपना योगदान दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में लोकतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक एवं बहु-दलीय प्रणाली के द्वारा सशक्त हुआ है।

क्रियाकलाप 21.1

अपने राज्य में पता लगाने का प्रयास करें कि:

- किस राजनीतिक दल/दलों ने वर्त्तमान सरकार का गठन किया है?
- विधान सभा में विपक्षी दल का नेता कौन से राजनीतिक दल का है?

टिप्पणी

- ऐसे पांच राजनीतिक दलों के नाम बताएँ जिन्होंने पिछले चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे।

आपको उपरोक्त सूचना समाचार पत्रों, अभिभावकों या मित्रों से मिल सकती है।

21.3 भारतवर्ष में राजनीतिक दल : उनकी शुरुआत एवं प्रगति

भारतवर्ष में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को सामान्य रूप से दलों के गठन की शुरुआत माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, एक बड़ा संगठन था जो समाज के सभी वर्गों के हितों प्रतिनिधित्व करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपालकृष्ण गोखले और 'लाल-बाल-पाल' अर्थात् लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे गरम पंथियों का प्रभुत्व था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया। इसी समय में कुछ अन्य राजनीतिक दल भी उभर कर आए जैसे मुस्लिम लीग, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, आदि।

1947 में आज़ादी के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वयं को एक राजनीतिक दल के रूप में बदल लिया ताकि यह चुनाव लड़ सके और सरकार का गठन कर सके। यह 1967 तक एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में रही, क्योंकि इसने लगातार 1952, 1957, 1962 और 1967 में केंद्र में एवं लगभग सभी राज्यों में होने वाले चुनावों में जीत हासिल की। इस समय को 'एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली' के नाम से जाना गया जिसमें कांग्रेस पार्टी बहुमत से विजयी होती रही और चुनाव लड़ने वाले अन्य राजनीतिक दलों को केवल कुछ ही सीटों से संतोष करना पड़ा।

1967 से भारतवर्ष में दलीय प्रणाली में लगातार फेरबदल होते आ रहे हैं। 1971 में, यद्यपि कांग्रेस ने लोकसभा में बहुमत हासिल किया था, लेकिन कई राज्यों में कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर साझा सरकारें बनाई थीं। 1977 के बाद, यह देखा गया कि भारत 'द्वि-दलीय प्रणाली' की तरफ बढ़ रहा है। ये दो दल थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल। लेकिन यह बहुत ही थोड़े समय ही चला। जनता पार्टी, जो वास्तव में कई छोटे-छोटे घटक दलों जैसे कांग्रेस (ओ), जनसंघ, समाजवादी, भारतीय लोकदल और लोकतांत्रिक कांग्रेस का सम्मिलन था, कई घटकों में विभाजित हो गया। जनता पार्टी के इस विभाजन से फिर कांग्रेस को फायदा हुआ और वह दोबारा 1980 में केंद्र में सत्ता में वापस आई और 1989 तक रही। लेकिन 1989 के बाद से कांग्रेस कभी भी अपना प्रभुत्व वापस प्राप्त नहीं कर सकी। 1989 के बाद से भारतीय दलीय प्रणाली का सामना गठबंधन सरकार प्रणाली से होता आ रहा है 1999 से दो बड़े गठबंधन सामने आए, एक को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (रा ज ग) (NDA) कहा गया जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो दूसरे को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) (UPA) कहा गया जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने संभाला। वर्तमान में भारतवर्ष में बहुदलीय प्रणाली है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं।

पाठगत प्रश्न 21.2

नीचे प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए गए हैं; इनमें से सही विकल्प चुनें:

(क) इनमें से कौन सा कथन सही है?

(i) भारत एक 'एकदलीय प्रणाली' है।

(ii) भारत में राजनीतिक दल स्वतंत्रता से पहले ही मौजूद थे।

(iii) भारत में राजनीतिक दलों की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद ही हुई।

(iv) 1989 में कांग्रेस को लोक सभा में बहुमत की प्राप्ति नहीं हुई।

(ख) एक लोकतांत्रिक प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है।

(i) राजनीतिक दल प्रणाली में बदलाव लाने के लिए गुप्त रूप से कार्य करते हैं।

(ii) ये जनता की राय को दिशा देते हैं।

(iii) ये राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

(iv) यदि इन्हें विधान मंडल में बहुमत नहीं मिलता है तो ये विपक्ष का गठन करते हैं।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर भारत में गठबंधन सरकारों की शुरुआत कब हुई?

(i) 1952 (ii) 1989

(iii) 1977 (iv) 1967

21.4 भारत में दलीय प्रणालीः स्वभाव, प्रकार एवं नीतियाँ

आपने ऊपर पढ़ा है कि स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दलीय प्रणाली पर प्रभुत्व बनाए रखा। लेकिन यह अधिक समय तक नहीं चला और केंद्र एवं राज्यों-दोनों में गैर कांग्रेसी सरकारों का भी दौर आया। आमतौर पर भारत में दलीय प्रणाली की तरह निश्चित है और न ही एक दल का या द्विदलीय प्रणाली दका प्रभुत्व है। उपर्युक्त किसी भी दलीय प्रणाली में पाई जाने वाली विशेषता भारत की दलीय प्रणाली में भी पाई जा सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यहां एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली नहीं है, जैसी कि 1967 तक की स्थिति थी। अब यह एक-दलीय प्रभुत्व प्रणाली नहीं रह गई है। भारतीय दलीय प्रणाली अब द्वि-दलीय प्रणाली भी नहीं है जो 1977 से लेकर 1980 तक के छोटे से अंतराल में मौजूद थी। अब यह बहु-दलीय प्रणाली बन चुकी है क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के समर्थन पर निर्भर होते हैं ताकि वे केंद्र एवं कुछ राज्यों में टिके रह सकें। विभिन्न राजनीतिक दल आपस में मिलकर गठबंधन सरकार का गठन करते हैं। कारण यह है कि अलग-अलग दलों का स्वयं अकेले बहुमत प्राप्त करना कठिन होता है।

टिप्पणी

21.4.1 भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ

- भारतवर्ष में बहु-दलीय प्रणाली है जिसमें सभी राजनीतिक दल केंद्र एवं राज्य में सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं।
- भारत में वर्तमान दलीय प्रणाली राष्ट्रीय एवं राज्यीय/क्षेत्रीय स्तरों पर बाई-नोडल (द्वि-ध्रुवीय) दलीय प्रणाली के रूप में उभरी है। दो ध्रुवों पर कार्यरत द्वि-ध्रुवीय प्रवृत्तियों का नेतृत्व केंद्र एवं राज्यों दोनों जगह कांग्रेस एवं बीजेपी द्वारा किया जाता है।
- राजनीतिक दल अपना-अपना आधिपत्य न दिखाकर आपस में प्रतियोगिता करते हैं, जबकि कई बार हम देखते हैं कि एक विशेष दल किसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ जुड़ता है और अगले चुनावों से पहले यह दूसरे दलों के साथ जुड़ जाता है।
- क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी केंद्र में सरकार के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये क्षेत्रीय दल केंद्र में, किसी न किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं और पर्याप्त मदद लेते हैं, जैसे केंद्र में मंत्रीपद प्राप्त करना या अपने-अपने राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज लेना।
- आजकल चुनाव दलों के बीच नहीं अपितु दलों के गठंबधनों के बीच लड़ा जाता है। प्रत्येक राज्य में प्रतिस्पर्धा, गठबंधन और प्रतिभागियों का स्वभाव अलग-अलग होता है।
- हमारी दलीय प्रणाली के लिए गठबंधन की राजनीति अभी नई है। हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहाँ केवल कुछ राज्यों को छोड़कर कहीं भी एक दलीय सरकार नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि न तो कोई स्थायी सत्ता दल है और न ही कोई स्थायी विपक्षी दल।
- गठबंधन की राजनीति के परिणामस्वरूप, राजनीतिक दलों के आदर्शों का महत्त्व घट गया है। प्रशासन अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम द्वारा चलाया जाता है जो दर्शाता है कि व्यवहारिकता ही 'सत्ता का मंत्र' है हमने ऐसी परिस्थितियों देखी हैं जहाँ तेलुगू देशम पार्टी ने 1999 में बीजेपी की एनडीए सरकार का समर्थन किया और सी पी आई (एम) ने 2004 में कांग्रेस की यू पी ए सरकार का बिना सरकार में औपचारिक तौर पर भाग लिए समर्थन किया।
- सभी दल मत प्राप्त करने के लिए किसी एक भवनात्मक मुर्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पिछले चुनावों के कुछ संवेगात्मक मुद्दे थेः 1970 का गरीबी हटाओ, 1980 का 'इंदिरा ही इंडिया है', 1980 के दशक के मध्य का 'राजीव के नेतृत्व में इक्कीसवी सदी की ओर बढ़ें', 1990 में बीजेपी का 'इंडिया शाइनिंग (चमकता हुआ भारत)' 2004 में कांग्रेस का 'फील गुड' (अच्छा अनुभव करो) और 2009 में 'आम आदमी'।
- अधिकांश दल आजकल लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक गठबंधन बनाने के बजाय अल्पकालिक चुनावी लाभ की ओर देखते हैं।

क्रियाकलाप 21.2

चर्चा द्वारा या समाचारपत्र पढ़कर, निम्नलिखित के विषय में जानियेः

(i) आपके क्षेत्र के किस राजनीतिक दल ने केंद्र में सरकार के गठन में अहम् भूमिका निभाई थी और कब?

(ii) किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल/गठबंधन ने केंद्र में सत्तारूढ़ दल का दर्जा प्राप्त किया और कब?

(iii) आपके राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन से हैं? यह आपके राज्य में कब सरकार बनाने का दर्जा कब प्राप्त कर सके?

21.5 भारतीय राजनीतिक दलों के प्रकार

भारत में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा चिह्नों के आवंटन के लिए किया जाता है। आयोग दलों को तीन वर्गों में विभाजित करता हैः राष्ट्रीय दल, प्रान्तीय दल और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल।

निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को तीन आधारों पर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान करता हैः

1. इसको चार या इससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त एक राजनीतिक दल होना चाहिए।
2. इस दल ने पिछले लोकसभा चुनावों में कम से कम चार प्रतिशत सीटें या राज्य के विधान सभा चुनावों में 3.33 प्रतिशत सीटें जीती हों।
3. इस दल के सभी उम्मीदवारों को चुनावों में कम से कम 6 प्रतिशत वैध मत प्राप्त हुए हों।

(क) राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव पूरे देश में फैला होता है। 2009 में हुए आम चुनावों से लेकर अब तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैंः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई एन. सी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एन सी पी), भारतीय जनता पार्टी (बी जे पी), भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सी पी आई), मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (सी पी आई - एम) और बहुजन समाज पार्टी (बी एस पी) और राष्ट्रीय जनता दल (आर जे डी)।

(ख) क्षेत्रीय राजनीतिक दल, वे राजनीतिक दल होते हैं जिन्हें राज्य में कुछ निश्चित प्रतिशत मत या सीटें प्राप्त होती हैं। निर्वाचन आयोग इन राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दल का चुनाव चिह्न प्रदान करता है। हमारे देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की संख्या काफी अधिक है। भारत के कुछ अग्रणी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में तृणमूल कांग्रेस (पश्चिम बंगाल), असम गण परिषद् (असम), ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम् (तमिलनाडु, पॉंडिचेरी), नेशनल कॉन्फ्रेंस (जम्मू और कश्मीर), समाजवादी पार्टी (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड), शिरोमणि अकाली दल (पंजाब), शिवसेना (महाराष्ट्र), तेलुगू देशम (आंध्र प्रदेश) इत्यादी शामिल हैं। क्या आप अपने राज्य की क्षेत्रीय पार्टी को जानते हैं?

क्रियाकलाप 21.3

2008 में जिन राजनीतिक दलों ने निम्नलिखित राज्यों में सरकारों का गठन किया था उनके नाम का पता लगाएँ।

- दिल्ली
- मध्यप्रदेश
- राजस्थान
- छत्तीसगढ़

21.6 भारतीय राजनीतिक दल एवं उनकी नीतियाँ

जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं भारत में राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर अनेक राजनीतिक दल हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल मतदाताओं से अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की-वचन बद्धता घोषित करते हैं। सामान्यतया इनको घोषणा पत्र कहा जाता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों के दौरान घोषणा पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। हम निम्न राजनीतिक दलों की प्रमुख नीतियों की चर्चा करेंगेः

I. 1. **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस :** 1885 से मुंबई (बम्बई) में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (अब कांग्रेस) पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी शासन के लिए एक अग्रणी दल के रूप में उभरकर आई और इसने केंद्र में एवं प्रायः प्रत्येक राज्य में 1967 तक शासन किया। भारतीय राजनीति के इतिहास के पहले दो दशकों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा और इस काल को कांग्रेस प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। धीरे-धीरे कांग्रेस का प्रभुत्व कम होने लगा। अब इसे केंद्र की सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दलों के गठबंधन पर निर्भर रहना पड़ता है। कांग्रेस लोकतत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद के प्रति वचनबद्ध है। यह एक प्रकार से मध्यमार्गी राजनीतिक दल है। यह उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की पैरोकार है जिसको 'एलपीजी' के नाम से जाना जाता है, वहीं यह समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए भी कार्य करती है। यह कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगीकरण दोनों की वकालत करती है। यह स्थानीय स्तर पर जमीनी संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहती है और अंतराष्ट्रीय संस्थाओं विशेष कर संयुक्त राष्ट्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का दावा करती है।

2. **भारतीय जनता पार्टी :** जनता पार्टी से अलग होने के बाद 1980 में स्थापित भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ (बी जे एस) के ही एक नए अवतार के रूप में प्रकट हुई है। भारतीय जनता पार्टी केन्द्र और राज्यों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। बी जे पी इन मुद्दों का समर्थन करती है; (क) राष्ट्रीय एकता (ख) लोकतंत्र (ग) सकारात्मक धर्म निरपेक्षता (घ) गांधीवादी समाजवाद तथा (ङ) मूल्य-आधारित राजनीति। प्रारंभिक चरणों में दक्षिण पंथी रुझान होते हुए भी बीजेपी आज कांग्रेस की भांति एक मध्यमार्गी पार्टी है। इस पार्टी ने कई राज्यों में सरकारों का गठन किया है। जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तराखंड। यह पार्टी अपना आधार दक्षिण तथा उत्तर पूर्वी भारत में भी बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

टिप्पणी

3. **कम्यूनिस्ट पार्टियाँः** भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सी पी आई) जो 1925 में स्थापित हुई थी और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (सी पी आई (एम)) जो 1964 में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद प्रकट हुई थी, भारत की प्रमुख कम्यूंनिस्ट पार्टियाँ हैं। इन वर्षो में सी पी आई (एम), सी पी आई की तुलना में अधिक शक्तिशाली हुई है। सी पी आई (एम) और सी पी आई दोनों ही दल केरल तथा त्रिपुरा में सत्ता रूढ़ रहे हैं। कम्यूनिस्ट पार्टियाँ श्रमिकों तथा किसानों की पार्टियाँ हैं। मार्क्सवाद और लेनिनवाद के आदर्शों पर आधारित ये पार्टियाँ समाजवाद, उद्योगों का समाजवादी स्वामित्व, कृषि संबंधी सुधार, ग्रामीणों को समृद्ध बनाने और आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था का समर्थन करती हैं। ये पूंजीवाद, साम्राज्यवाद तथा वैश्वीकरण का विरोध करती है।

4. **बहुजन समाज पार्टी :** कांशीराम द्वारा 1984 में स्थापित बहुजन समाज पार्टी यह दावा करती है कि वह भारतीय समाज के वंचित वर्ग, विशेषकर गरीबों, भूमिहीनों, बेरोजगारों एवं दलितों की पार्टी है जो भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हैं। यह दल साहू महाराज, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नामकर तथा बी. आर. अंबेडकर की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है। सुश्री मायावती वर्तमान में पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। बी.एस. पी. 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय', के सिद्धान्त पर कार्य करती है। इसने उत्तर प्रदेश में दो बार सरकार बनाई, एक बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके और बाद में स्वयं स्वतंत्र सत्तारूढ़ दल बनकर।

5. **राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी :** राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुआ एक समूह है। 1999 में जिन तीन लोगों ने मिलकर इस दल का गठन किया था वे हैं, शरद पवार, पी ए संगमा और तारिक़ अनवर। इस दल की नीतियाँ लगभग कांग्रेस की नीतियों के समान हैं। इसका प्रमुख जनाधार महाराष्ट्र में है। यह 2004 से यूपीए के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की गठबंधन सहयोगी है।

6. **राष्ट्रीय जनता दलः** राष्ट्रीय जनता दल (आर जे डी) एक अन्य दल है जो 1997 में जनता दल के टूटने के बाद प्रकट हुआ। इस दल को लालू प्रसाद यादव ने गठित किया। यह दल पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी कार्यक्रमों और सामाजिक न्याय का समर्थन करता है। यह दल लगभग एक दशक से बिहार में सत्ता में था। यह दल 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का एक गठबंधन सहयोगी था।

II. क्षेत्रीय राजनीतिक दल : क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ। ये अपने अपने राज्यों में इतने लोकप्रिय हो गए कि ये दल राज्य की राजनीति में प्रभुत्व दिखाने के साथ-साथ अपने अपने राज्यों में सत्ता भी प्राप्त करने लगे। इनकी बढ़ती हुई राजनीतिक हैसियत ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को केंद्र में गठबंधन सरकारों का गठन करने में मदद की। केंद्र ने भी उनकी समस्याओं पर ध्यान देना और उनकी आकांक्षाओं को समायोजन द्वारा पूरा करना शुरू कर दिया है।

हमारी दलीय प्रणाली के विकासवादी स्वभाव ने हमारी संघीय प्रणाली के सहकारितावादी रुझान को सुदृढ़ बनाया है।

III. पंजीकृत (अमान्यता प्राप्त) दलः निर्वाचन आयोग में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे राजनीतिक दल पंजीकृत होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय या प्रान्तीय दलों के रूप में मान्यता नहीं मिलती है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 2009 में 363 दलों ने चुनाव लड़ा था। कुछ स्वतंत्र उम्मीदवार भी मैदान में थे। अधिकांश राजनीतिक दलों को अमान्यता प्राप्त रूप से पंजीकृत

किया गया था। 2009 में सक्रिय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है:

- राष्ट्रीय दल - 7 (कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल)
- प्रान्तीय दल - 34
- पंजीकृत (असमान्यताप्राप्त) दल -322

पाठगत प्रश्न 21.3

1. भारतीय दलीय प्रणाली की कोई दो विशेषताएँ बताइए।
2. निम्न राजनीतिक दलों में से किन्हीं दो के तीन प्रमुख सिद्धांत बताइए:
   (i) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
   (ii) भारतीय जनता पार्टी
   (iii) भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
   (iv) बहुजन समाज पार्टी
3. निम्नलिखित में से कौन जम्मू एवं कश्मीर का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है?
   (i) भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (ii) नेशनल कांफ्रेंस
   (iii) फॉर्वर्डब्लॉक (iv) राष्ट्रीय जनता दल
4. शिवसेना निम्न में से किस राज्य की राजनीतिक पार्टी हैं।
   (i) महाराष्ट्र (ii) तमिलनाडु
   (iii) बिहार (iv) उत्तराखंड

क्रियाकलाप 21.4

अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उनकी तीन प्रमुख नीतियाँ क्या हैं? अलग-अलग दलों के लिए मतदान करने हेतु लोगों को कौन सी बातें प्रेरित करेंगी?

राजनीतिक दल का नाम	प्रमुख नीतियाँ	मतदान के लिए प्रेरणा

टिप्पणी

21.7 राजनीतिक दल एवं दबाव/हित समूह

आपने शायद कभी अपने इलाके, शहर अथवा राज्य में प्रदर्शन, धरना और इसी तरह की अन्य कई गतिविधियाँ देखी होंगी। ये प्रदर्शन छात्रों, किसानों, श्रमिकों आदि के द्वारा किए जाते हैं। इनमें से कुछ गतिविधियाँ, कुछ संगठित समूहों, जैसे छात्र यूनियन, किसान यूनियन, व्यापारिक संगठन, शिक्षक संगठन आदि के द्वारा संचालित कि जाती हैं। सामान्य तौर पर, ये समूह अपने स्वार्थ के अनुसार सरकार पर नीतियाँ बनाने अथवा कानून के क्रियान्वयन के लिए दबाव बनाते हैं। फिर भी वे स्वयं चुनावों में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए आप भी इस बात से आप सहमत होंगे कि ये समूह राजनीतिक दल नहीं हैं।

तो ये क्या हैं? किसी भी देश में, विशेषकर लोकतांत्रिक देश में, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे संगठित समूह होते हैं; जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीति और सरकार को प्रभावित करते हैं। इन संगठित समूहों के सदस्य किसी विशेष स्वार्थ/हित की वजह से, संगठित होते हैं। उदाहरण के लिए किसी कारखाने के श्रमिक ट्रेड यूनियन के रूप में संगठित होते हैं ताकि वे अपने हितों की पूर्ति कर सकें। इसी प्रकार से ऐसे और भी कई संगठित समूह हैं। इन्हें दबाव समूह अथवा हित समूह कहा जाता है। ये दबाव समूह या हित समूह क्या हैं? ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं? इनकी हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली में क्या भूमिका है? आइए इसकी चर्चा करें।

21.7.1 दबाव समूह और स्वार्थ/हित समूह

आप नीचे के चित्र में देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) द्वारा एक रैली निकाली जा रही है। इंटक (INTUC) एक ऐसा संगठन है जिसकी हम दबाव समूह और हित समूह दोनों की तरह व्याख्या कर सकते हैं। सामान्यतः दबाव समूह एवं हित समूह एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं पर वास्तव में ऐसा नहीं हैं। हित समूह संगठित लोगों के समूह होते हैं जो अपने विशेष हितों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। उनकी विशेषताएँ हैं:

चित्र 21.1 : भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की रैली

टिप्पणी

(क) ये सुसंगठित होते हैं: (ख) इनका कुछ सांझे स्वार्थ होते हैं, (ग) यह स्वार्थ, जो सदस्यों को एकत्रित करता है, विशेष एवं निर्दिष्ट होता है, (घ) इन संगठित समूहों के सदस्य अपने स्वार्थ को पाने, रक्षा करने एवं बढ़ावा देने के लिए चेष्टा करते हैं।

दूसरी ओर दबाव समूह एक स्वार्थ/हित समूह है जो सरकार या निर्णायक समितियों पर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दबाव डालता हैं।

हित समूह एवं दबाव समूह में अंतर स्पष्ट करना महत्त्वपूर्ण होता है। हित समूह सरकार अथवा निर्णयकर्ताओं पर दबाव बनाए बिना भी अस्तित्व में रह सकते हैं। ऐसा समूह जो वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिकारियों को दबाव डाले बिना ही प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उन्हें दबाव समूह नहीं कहा जाता है। एक हित समूह जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति लिए सरकार पर दबाव बनाता है उसे ही दबाव समूह कहा जाता है। सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं जबकि सभी हित समूह दबाव समूह नहीं भी हो सकते हैं। नीचे स्पष्ट रूप से दोनों समूहों का अंतर बताया जा रहा है:

स्वार्थ समूह	दबाव समूह
• औपचारिक रूप से संगठित • स्वार्थ/हितों की ओर अभिमुख • सरकार की नीतियों को प्रभावित कर भी सकते हैं और नहीं भी • नरम दृष्टिकोण • कम या अधिक सुरक्षात्मक	• सुचारू रूप से संगठित • दबाव की ओर अधिक ध्यान • सरकार की नीतियों को प्रभावित करते ही हैं। • कठोर दृष्टिकोण • सुरक्षात्मक एवं प्रोत्साहात्मक

21.7.2 दबाव समूहः भूमिका एवं तकनीक

राजनीति की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली में दबाव समूहों की अहम् भूमिका होती है। ये जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर जनता की राय को, चर्चा, बहस और प्रचार के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में ये लोगों को शिक्षित करते हैं और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं। उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी को बेहतर बनाते हैं तथा विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं और स्पष्ट रूप से उनको व्यक्त करते है। ये समूह जन नीतियों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं।

अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य को पाने के लिए ये दबाव समूह विभिन्न प्रकार के तरीके एवं तकनीकों को अपनाते हैं। इनमें अपील, प्रदर्शन, याचिका, घेराव, जुलूस एवं लॉबी बनाना शामिल हैं। ये मीडिया में लिखते हैं, पर्चे वितरित करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं, चर्चा एवं बहस आयोजित करते हैं, पोस्टर लगवाते हैं और नारे लगाते हैं। ये सत्याग्रह भी कर सकते हैं जिसका अर्थ है अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन। कभी-कभी, दबाव समूह हड़ताल भी करते हैं ताकि ये विधान पालिका, कार्यपालिका एवं अधिकारियों पर दबाव बना सकें। अक्सर ये बहिष्कार भी करते हैं। क्या आपने वकीलों को कोर्ट का बहिष्कार या शिक्षकों को कक्षाओं का बहिष्कार करते नहीं देखा है? दबाव समूह इस प्रकार की गतिविधियों के द्वारा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

क्या आप जानते हैं

लाबिंग करने का क्या अर्थ है?

लाबिंग करने का अर्थ है सरकार के अधिकारियों और अधिकांशतः विधायिका के सदस्यों पर जन नीतियों के निर्माण अथवा कार्यन्वयन के लिए प्रभाव डालने का प्रयास।

21.7.3 राजनीतिक दल एवं दबाव समूह

आपने पहले पढ़ चुके हैं कि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह समान नहीं हैं। लेकिन दानों ही लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनका संबंध काफी गहरा एवं स्पष्ट है। उदाहरण के लिए ट्रेड यूनियन अपने अपने राजनीतिक दलों की मदद करने के लिए उन्हें चुनावों के दौरान कार्यकर्ता देते हैं। दूसरी ओर, राजनीतिक दल श्रमिकों के हित में कानून बनवाने का प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र यूनियन (NSUI) कांग्रेस को भावी नेतृत्व प्रदान करती है। जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) यही कार्य भारतीय जनता पार्टी के लिए करती है? कुछ दबाव समूह कुछ विशेष राजनीतिक दलों से जुड़े होते है; लेकिन कई ऐसे दबाव समूह होते हैं जिनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होता है। यह समझना आवश्यक है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों से अलग होते हैं। इन दोनों के बीच के अंतर को नीचे स्पष्ट किया गया है:

- दबाव समूह मूलतः राजनीतिक स्वभाव के नहीं होते। उदाहरण के लिए, यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस) भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, फिर भी यह मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक दल बुनियादी रूप से राजनीतिक होते हैं।
- दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते; ये केवल उन्हें प्रभावित करते हैं जो सत्ता में हैं ताकि निर्णयों को अपने पक्ष में करवाया जा सके। राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं।
- दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं; ये केवल अपनी पसंद के राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं।
- दबाव समूहों की अपनी कोई राजनीतिक विचारधारा हो, यह आवश्यक नहीं है। परन्तु राजनीतिक दल हमेशा अपने आदर्शों/विचारधारा से बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए जहाँ कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा - धर्म निरपेक्षता, समाजवाद एवं लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध है; वहीं कम्यूनिस्ट पार्टी श्रमिकों, किसानों एवं अन्य कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
- दबाव समूहों का स्वार्थ आमतौर पर विशेष एवं निश्चित होता है, जबकि राजनीतिक दलों की अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम होते हैं जिनकी राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय शाखाएँ एवं प्रशाखाएँ होती हैं।

21.7.4 भारत के दबाव समूह

अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह, भारत में भी कई हित/दबाव समूह हैं जो पारंपरिक सामाजिक ढाँचे पर आधारित हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म सभा, पारसी अंजुमन और एंग्लो-इंडियन क्रिश्चियन ऐसोसिएशन जैसे कई समूह हैं। कई जातिगत समूह हैं, जैसे ब्राहमण सभा, नायर समाज, और भाषा समूह (जैसे तमिल संघ, अंजुमन-ए-तारीख-ए-उर्दू) आप अन्य प्रकार के हित समूह भी देख सकते हैं जिनमें भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की (FICCI)) जैसे निकाय या श्रमिकों एवं किसानों से संबंधित अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ; किसान सभा आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए ऐसे कई संस्थागत समूह भी हैं जैसे सिविल सेवा संगठन या गैर राजपत्रित अधिकारी यूनियन। कभी-कभी आपको अखिल असम छात्र संघ जैसे समूह भी देखने को मिलते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेजों की स्थापना की मांग करते हैं।

21.7.5 सिविल सोसाइटी संगठनः भारत में सामूहिक दबाव प्रणाली का एक नया रूप

भारत में बड़ी संख्या में सिविल सोसाइटी संगठन (सी एस ओ) हैं, जिनका अर्थ है ऐसे संगठन जिन्हें देश के नागरिकों ने स्थापित किया है, ताकि वे विशेष हितों के लिए कार्य कर सकें। इनमें से कई संगठन सरकार के समक्ष दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, ताकि ये अपने से संबंधित क्षेत्रों में नीतियां लागू करने को बढ़ावा दे सकें। ये संगठन आम व्यक्तियों द्वारा चलाए जाते हैं जो विशेष मुद्दों के प्रति सशक्त समर्पण का अनुभव करते हैं। कई आम व्यक्ति औपचारिक या अनौपचारिक रूप से एक साथ मिलकर विभिन्न मुद्दों पर एवं समाज में फैली अराजकता के बारे में अपने विचारों को साझा करते हैं।

सिविल सोसाइटी राज्य एवं व्यक्ति के बीच में एक कड़ी है। सिविल सोसाइटी संगठन उन्हें कहा जाता है जो पर्यावरण सुरक्षा, महँगाई, भ्रष्टाचार की रोकथाम आदि जनसामान्य से जुड़े मुद्दों पर महिलाओं एवं पुरुषों के समूहों, संगठनों, संघों अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा उनकी सक्रिय भागीदारी एवं संलग्नता को दर्शाते हैं। इक्कीसवीं सदी ने देश के विभिन्न भागों में हुई विरोध प्रदर्शन जैसी गतिविधियों से सिविल सोसाइटी संगठन के द्वारा लोगों की सक्रिय भागीदारी को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। लोग लैंगिक भेदभाव, बाल मजदूरी, आश्रयहीन बच्चों आदि के मुद्दों को उठाते हैं और इन पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से योगदान देते हैं। इस तरह के संगठन जनमत तैयार करने में सक्षम होते हैं क्योंकि ये मुद्दे समाज के बहुत लोगों से जुड़े होते हैं। इस तरह के कुछ सिविल सोसाइटी संगठनों में शामिल है; मजदूर किसान शक्ति संगठन (एम के एस एस, राजस्थान), पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), नेशनल एलाएंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स (एन ए पी एम), नेशनल एलाएंस ऑफ वुमेन्स आर्गेनाजेशन (एन ए डब्ल्यू ओ), मेडिको फ्रेंड्स सर्कल (एम एफ सी) एवं अन्य कई। इस तरह के संगठन सरकार पर दबाव डालते हैं ताकि कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार, विभिन्न लोगों की आजीविका, पर्यावरणीय सुरक्षा, नारी सशक्तीकरण, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे आदि से सम्बन्धित नीतियों में बदलाव किया जा सके।

सिविल सोसाइटी संगठन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये लोगों के लिए एक चैनल प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकें और ये संगत रचानात्मक रूप से परिवर्तन के लिए कार्य करते हैं। देश के प्रति किए गए वादों को जब सरकार

पूरा नहीं करती तो ये संगठन उस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। ये आदर्शवादी एवं समर्पित युवा लोगों को आकर्षित करते हैं और उनके लिए अच्छी नागरिकता को सिखाने एवं सीखने का स्थान भी बनते हैं। अच्छे नागरिक सतर्क एवं जागरूक होते हैं। सिविल सोसाइटी संगठन इसी प्रकार के सतर्क नागरिकों के द्वारा गठित होते हैं। इनमें से कई बड़े सामाजिक हितों के लिए संघर्ष करते हैं, और अपने निजी सुख, समय एवं ऊर्जा का त्याग करते हैं। हाल ही में हुए सिविल सोसाइटी संगठन के कुछ प्रमुख नेता हैं अरुणा रॉय (मजदूर किसान शक्ति संगठन), इला भट्ट (स्वनियोजित महिला संगठन), मेघा पॉटकर (नर्मदा बचाओ आंदोलन) और अन्ना हजारे (इन्द्रिया ऊगेन्स्ट करप्शन)। ये सभी संगठन बड़ी संख्या में उन लोगों को शामिल करते हैं जो राज्य की नीतियों में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करते हैं। कई संगठन एवं समूह अहिंसात्मक तरीकों को अपनाने में विश्वास रखते हैं।

21.7.6 दबाव की रणनीति

दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने के प्रति जुटे रहते हैं और उसके लिए विभिन्न दाँव पेच अपनाते हैं। ये बुनियादी रूप से संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण होते हैं। भारत में सत्याग्रह दबाव का एक आम दाँवपेच है जिसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन। जैसाकि आप जानते ही हैं कि गांधी जी ने ही सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत की और वे इसके लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने विदेशी शासन के संदर्भ में इन तरीकों का प्रयोग किया फिर भी ये तरीके आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इन तरीकों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए, स्वनियोजित महिला संगठन (सेवा) (SEWA) ने सरकार को प्रभावित किया ताकि महिला श्रमिकों के अधिकारों की नीतियों को बेहतर बनाया जाए, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन आंदोलन शुरू किया जिससे सरकार को 'सूचना का अधिकार' जैसा कानून लाना पड़ा। मणिपुर जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में ऐसे कई समूह हैं जिनमें 'जस्ट पीस', अपुनबा लुप, (छात्र संगठन) और मीरा पॉबिस (महिला समूह) शामिल हैं जो सरकार पर लोगों की न्यायोचित समस्याएँ सुनने के लिए दबाव डालते हैं। एक साथ मिलकर ये समूह इरोम शर्मिला के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्हें 'मणिपुर की लौह महिला' के नाम से जाना जाता है जो नवंबर 2000 से भूख हड़ताल पर हैं। इनकी मांग हैं कि सरकार को आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर ऐक्ट (AFSPA) को समाप्त करना

चित्र 21.2 मीरा पैबिस (महिला कार्यकर्ता) मणिपुर में विरोध प्रदर्शन करते हुए।

चित्र 21.3 केरल में महिलाएँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मीरा पैबिस और इरोम शार्मिला की माँगों के समर्थन में पोस्ट कार्ड भेजती हुई ताकि मणिपुर में शांति स्थापित हो।

चित्र 21.4

चाहिए जो उनके राज्य एवं उत्तर-पूर्वी भारत के अन्य भागों में हो रही हिंसा के लिए जिम्मेदार है, और लोगों के जीवन के लोकतान्त्रिक का सम्मान करना चाहिए। पूरे देश के लोग उनके त्याग का सम्मान एवं समर्थन करते हैं (उन्होंने 11 वर्षों से भोजन नहीं किया है, और वे केवल इसलिए जिंदा हैं क्योंकि उन्हें जबरदस्ती नाक में नली डालकर खाना खिलाया जा रहा है)।

दबाव समूह प्रदर्शनों, धरने पर बैठने, हड़ताल पर जाने, जनसभाओं का आयोजन करने निर्णायक समितियों को ज्ञापन देने, मीडिया का प्रयोग करके अपनी माँगों को बढ़ावा देने एवं जनसहमति बनाने के लिए भी तरह तरह के दाँव पेचों का प्रयोग करते हैं।

पाठगत प्रश्न 21.4

1. दबाव समूह क्या है? ये स्वार्थ/हित समूहों से किस तरह अलग हैं?
2. दबाव समूहों एवं राजनीतिक दलों के बीच दो अंतर बताइए?
3. कम से कम तीन ऐसे तरीके बताइए जिनसे दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उपयुक्त उदाहरण दीजिए।

क्रियाकलाप 21.5

नीचे हित-समूहों, दबाव-समूहों तथा राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताएँ या लक्षण अव्यवस्थित रूप में दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक का दूसरे से अन्तर जानने हेतु उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं दी गई तालिका में उन्हें उचित स्थान पर लिखिए।

- सुचारू रूप से संगठित
- चुनाव लड़ना
- नरम दृष्टिकोण
- कम अथवा अधिक सुरक्षात्मक
- सुरक्षात्मक तथा प्रोत्साहात्मक
- सरकार की सत्ता प्राप्त करने का प्रयास
- कानून निर्माण में सहायता
- हितों की ओर अभिमुख
- स्वभाव से राजनीतिक
- औपचारिक रूप से संगठित
- सत्ता-परिवर्तन की प्रक्रिया को आसान बनाना
- दबाव पर अधिक ध्यान देना
- कठोर दृष्टिकोण
- सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं करते
- सरकार की नीतियों को अवश्य प्रभावित करते हैं।

स्वार्थ/हत समूह	दबाव समूह	राजनीतिक दल

आपने क्या सीखा

- किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की निश्चित भूमिका होती हैं। वास्तव में राजनीतिक दल लोकतंत्र को संभव बनाते हैं; ये चुनावों को संभव बनाते हैं; सत्ता के हस्तांतरण में सहायक होते है; लोगों को शिक्षित करते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं।
- भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल पाये जाते हैं; राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिनका प्रभाव पूरे देश में होता है तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो किसी विशेष राज्य या कुछ राज्यों तक सीमित होते हैं।

- राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं: कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियाँ, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। क्षेत्रीय पार्टियों में शामिल हैं; अकाली दल (पंजाब), डी.एम.के. और ए आई ए डी एम के (तमिलनाडु), तेलगु देशम (आंध्र प्रदेश), नेशनल कान्फ्रेंस (जम्मू और कश्मीर), शिव सेना (महाराष्ट्र), तृणमूल कांग्रेस (पश्चिम बंगाल)।
- क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने 1989 से गठबंधन की राजनीति में सशक्त एवं चुनौती पूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ किया है।
- भारत में गठबंधन की सरकार का दौर चल रहा है;
- दबाव समूह, जो राजनीतिक दलों से अलग है; सरकार अथवा निर्णयकर्ताओं को प्रभावित कर अपने विशिष्ट/निर्दिष्ट हितों की पूर्ति करने के लिए कार्य करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में उनकी भूमिका वास्तव में महत्वपूर्ण है।

पाठांत प्रश्न

1. हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है?
2. राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं?
3. राजनीतिक दलों की चार विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए।
4. राजनीतिक दलों के किन्हीं चार कार्यों का वर्णन कीजिए।
5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
6. भारत में दलीय प्रणाली की तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
7. दबाव समूह क्या हैं?
8. राजनीतिक दल और दबाव समूह में दो अंतर स्पष्ट कीजिए।
9. भारत में दबाव समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
10. सिविल सोसाइटी संगठन क्या हैं? भारत के किन्हीं दो समकालीन सिविल सोसाइटी संगठनों के नाम लिखिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

21.1

1. (क) (iii)

   (ख) (iv)

   (ग) (iii)

2. 'लोकतंत्र को किस तरह कार्य करना चाहिए', इस प्रश्न का उत्तर अपनी समझ के आधार पर दीजिए।

21.2

(क) (ii)

(ख) (i)

(ग) (ii)

(घ) (iv)

21.3

1. (i) प्रतिस्पर्धात्मक, (ii) गठबंधनकारी, (iii) बहुदलीय (काई दो)
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   (i) लोकतंत्र (ii) धर्म निरपेक्षता

   भारतीय जनता पार्टीः (क) राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता (ख) गाँधीवादी समाजवाद
3. (ii)
4. (i)

21.4

1. दबाव समूह एक हित समूह होता है जो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिये सरकार और निर्णयकर्ताओं पर दबाव डालता है। दबाव समूह हित समूह से इस आधार पर ही भिन्न हैं कि हित समूह सरकार और निर्णयकत्ताओं पर बिना दबाव डाले भी अस्तित्व में रह सकते हैं लेकिन यदि दबाव समूह अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अधिकारियों पर दबाव या प्रभाव नहीं डालता है तो उसे दबाव समूह नहीं कहा जा सकता हैं।
2. (a) दबाव समूहों की प्रकृति मूलतः राजनीतिक नहीं होती है। उदाहरण के लिये यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है लेकिन वह एक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक दल वास्तव में राजनीतिक स्वभाव एवं रुझान के होते हैं।

   (b) दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, वे केवल अपने पसंद के राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं, चुनाव लड़ते हैं व चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं।
3. लोकतांत्रिक राजनीति की कार्यप्रणाली में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोगों से जुड़े सार्वजनिक विषयों पर चर्चा, परिचर्चा, वादविवाद तथा जनमत का निर्माण करते हैं। दबाव समूहों द्वारा अपनाये जाने वाले तीन तरीके हैं; अपील, याचिका और प्रदर्शन। उदाहरण के लिये सेल्फ एम्पलाइड वुमेन्स ऐसोसिएशन ने कामकाजी महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिये सरकार को प्रभावित किया। मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व वाले जन आंदोलन ने सरकार को 'सूचना का अधिकार' देने के लिए कानून लाने के लिए बाध्य किया।